



39

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-188/ 1142

रायपुर, दिनांक 14/05/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय महानदी भवन,

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: - Diversion of Forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act - 1980 proposed For 220 / 132/ 33 KV Sub - Station at Dharamjaigarh village Hati, Area 6.823 Ha.

संदर्भ: - पंजीयन क्रमांक- FP/CG/Sub Station/ 145951/2021
कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विद्युत/479-188/1097 दिनांक 08.05.2023

-0-

विषयांकित संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा चाही गयी 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी प्रेषित की गयी है।

उक्त जानकारी के बिन्दु क्रमांक 4 के अनुक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के पत्र क्रमांक/व. प्रा./प्रबंध-614/2170 दिनांक 09.05.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वन्य प्राणी प्रभाग का अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार अभिमत निम्नानुसार है :-

“धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत हाटी ग्राम में प्रस्तावित सब-स्टेशन रकबा 6.823 हे. के वन भूमि व्यवर्तन के संबंध में लेख है कि प्रस्तावित क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी पर आवासीय क्षेत्र स्थित है तथा खरसिया मुख्य मार्ग से लगा हुआ है एवं प्रस्तावित स्थल के सामने बाजार / हटरी होने के कारण हमेशा शोरगुल / चहल पहल होता है जिसके कारण उक्त क्षेत्र में वन्य प्राणियों का आवागमन भी नहीं है” पर सहमति दी गई है एवं निम्न शर्त समाहित की गयी है।

1. कक्ष क्रमांक 551 हाथी प्रभावित क्षेत्र है। अतः आसपास के गांवों में तत्संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी।
2. सब-स्टेशन से डिस्ट्रिब्यूशन लाईन 7 मीटर तक होनी चाहिए (22 से 23 फीट)
3. सब-स्टेशन से डिस्ट्रिब्यूशन लाईनों के तार इन्सुलेटेड केबल होना चाहिए ताकि ग्रामीण किसानों द्वारा हुकिंग न किया जा सके, जिससे हाथी मृत्यु की संभावना को रोका जा सके।
4. सब-स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल हाथी रोधी होना आवश्यक है।

कृपया प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)

छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 14/05/2023

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/ विद्युत/ 479-188/ 1143

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन महानिरीक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मण्डल, धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़।
4. कार्यपालन अभियंता (सिविल), संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. रायगढ़, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व. सं. अ)

छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण)

एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अरण्य भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

ईमेल - cwlwec@gmail.com

Ph. 0771-2512880

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-615/2170

रायपुर दिनांक 09/05/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

भू-प्रबंध

अरण्य भवन, नवा रायपुर

विषय :- Diversion of Forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act-1980 proposed For 220/132/33 KV Sub- Station at Dharamjaigarh village hati, Area 6.823 Ha.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-188/906 दिनांक 13.04.2023

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु 4 के संबंध में लेख है कि धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत हाटी ग्राम में प्रस्तावित सब-स्टेशन रकबा 6.823 हे. के भूमि व्यपवर्तन के संबंध में लेख है कि प्रस्तावित क्षेत्र से 300 मी. की दूरी पर आवासीय क्षेत्र स्थित है तथा धरमजयगढ़-खरसिया मुख्य मार्ग से लगा हुआ है एवं प्रस्तावित स्थल के सामने बाजार/हटरी होने के कारण उक्त स्थल पर हमेशा शोर-गुल/चहल-पहल होता है जिसके कारण उक्त क्षेत्र में वन्यप्राणी का आवागमन भी नहीं है।

अतः वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त की अनुशंसा एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) बिलासपुर से सहमत होते हुये उक्त क्षेत्र में सब-स्टेशन निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों को समाहित करते हुये सहमति दी जाती है :-

1. कक्ष क्रमांक 551 हाथी प्रभावित क्षेत्र है। आस-पास के ग्रामों में तत्संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता होगी।
2. सबस्टेशन से डिस्ट्रिब्यूशन लाईने 7 मीटर तक होनी चाहिए (22 से 23 फीट)।
3. सबस्टेशन से डिस्ट्रिब्यूशन लाईनों के तार इन्स्युलेटेड केबल होना चाहिए ताकि ग्रामीण किसानों द्वारा हुकिंग न किया जा सके, जिससे हाथी मृत्यु की संभावना को रोका जा सके।
4. सबस्टेशन की बाउण्ड्रीवाल हाथी रोधी होना आवश्यक है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर